

वकील प्रार्थी उपरोक्त जवाब प्रस्तुत करने हेतु
तहसीलदार गंगापूर सिटी को लिखा जावे। पत्रावली दि.
३१-१-२०२० को पेश हो।

३५-१-२०२० पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष
सपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य चुनाव
कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ३-१-२०२०
को पेश हो।

W/R
रीडर

५१-१-२०२० पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष
सपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक १-१-२०२१
को पेश हो। तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न है।

W/R
रीडर

१२-१-२०२१ पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य
का बहिष्कार किया है। P.O. साहब वरि
पर/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है।
पत्रावली दि. २-१-२०२१ को पेश हो।

W/R
रीडर

१-१-२०२१ वकील प्रार्थी व तहसीलदार तहसीलदार
गंगापूर सिटी उपरोक्त दावा प्रार्थिया डिक्री किया जा
चुका है। इसलिये अब T.I. प्रा.पक्ष को चलाने
रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः दावे के
निर्णय की रीशनी में यह T.I. प्रा.पक्ष खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसलेशुमार होकर नम्बर
से कम हो एवं बाद तकमील मूल दाद दारिखत दफतर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (संभा०)